पत्रांक : 8771 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक :15 / 06 / 2012

प्रिय

जैसा आप अवगत ही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय / ईकाइ द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में सचिवालय स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य परिलक्षित होता है कि सचिवालय के स्तर पर कई विभागों में समीक्षा अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा रहा है जबकि अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए समीक्षा अधिकारियों को संबंधित अनुभाग अधिकारी / अनु सचिव के स्तर से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा अनुमोदन लेना हेाता है. इससे जहां एक ओर परिहार्य समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है. दिनांक 12 / 10 / 11 को आयोग के एक कार्यक्रम के दौरान इस तथ्य को तत्कालीन मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया था. उनके द्वारा इस विसंगि को दूर करने का आश्वासन दिया गया था.

2. दिनांक 30 / 04 / 12 को हुयी पूर्ण आयोग की बैठक में उपरोक्त बिंदु पर भी चर्चा हुयी तथा शासन को यह सुझाव दिये जा पर सहमति हुयी कि सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारियों के रूप मे नामित किया जाये जिससे प्रार्थियों को नियमानुसार तथा समय से सूचना उपलब्ध करायी जा सके.

3. अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपल्च्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून